न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र विविध 6ए/87/2025

राज गैस सर्विस भरतपुर

.....**प्रार्थी**

बनाम

राज.सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी,भरतपुर

.....**अप्रार्थी0**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(सी)(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बाबत वापिस करने गैस सिलेन्डर।

आदेश **दिनांक 11–3–2026**

प्रार्थी यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की 6(सी)(2) विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.10.2018 को रसद विभाग भरतपुर द्वारा भारत गैस के 26 गैस सिलेण्डर सीज किये गये थे। इस बाबत एफ.आई.आई.संख्या 479/2018 अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया जिसका फैसला विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट केसेज) भरतपुर द्वारा दिनांक 15.02.2025 को किया जाकर मुलजिमान को बरी किया गया न्यायालय के निर्णय के पैरा नम्बर 29 में स्पष्ट दर्ज किया गया कि हस्तगत मामले में अभियुक्तगण का राज गैस एजेन्सी का वितरक होना अभियोजन काहनी से प्रमाणित आता है। अभियुक्तगण अनाधिकृत तौर पर उक्त सिलेण्डरों को कब्जे में रखे हुये हो ऐसा पत्रावली पर आई साक्ष्य से प्रमाणित नहीं आता है और फैसले के पैरा 30 में यह दर्ज किया है कि इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा सिलेण्डरों से अवैध रिफलिंग व उनका अवैध भण्डारण किया जा रहा था । इसलिये अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अन्तर्गत 3/7 ई.सी.एक्ट में दोषमुक्त घोषित किया गया है। सीजर मीमो के सम्बन्ध में धारा 6ए ई.सी.एक्ट की कार्यवाही खिलाफ प्रार्थी एवं अन्य के विरुद्ध की गई थी जिसका फैसला दिनांक 19.11.2019 को किया जाकर कोनफिसकेशन करने का आदेश दिया गया था। इस आदेश को प्रार्थी को कम्यूनिकेट नहीं किया गया था जो धारा 6सी(1) में आवश्यक है। श्रीमान के कोनफिसकेशन आदेश दिनांक 19.11.2019 के खिलाफ ज्यूडिशियल ऑथोरिटी भरतपुर के यहॉ अपील पेश की गई जो अपील अवधि बाधित होने से आदेश दिनांक 15.2.25 को अस्वीकार की गई, किन्तु फैसला के पैरा नम्बर 13 में यह दर्ज किया गया है कि इसके अतिरिक्त जहां तक अपीलार्थी की ओर से दौराने बहस प्रस्तुत इस तर्क का प्रश्न है कि जिस मूल आपराधिक प्रकरण में अपीलार्थी के गैस सिलेण्डर

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

जब्त किये गये थे उसके अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से अपीलार्थी गैस एजेन्सी के होकर व डिलेवरी मैन आरोपीगण को दोषमुक्त कर दिया गया है धारा 6ग (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उक्त गैस सिलेण्डर अपीलार्थी गैस एजेन्सी को वापिस लौटाये जाने के आज्ञात्मक प्रावधान है। ऐसी सिथति में धारा 6सी(2) के अन्तर्गत सीज किये गये एवं सुपुर्दनामा पर दिये गये भारत गैस जो प्रार्थी के हौकरो से सीज किये गये थे प्रार्थी वापिस प्राप्त करने का अधिकारी है। जप्त शुदा गैस सिलेण्डरों को वापिस दिलाये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर। अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी पैरोकार रसद की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि रसद विभाग प्रवर्तन स्टाफ ने वक्त निरीक्षण दिनांक 06.10.2016 को प्रार्थी भारत गैस के 26 गैस सिलेण्डर जप्त किये गये थे। रसद विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में प्रकरण धारा 6(ए) ई.सी.एक्ट के तहत प्रकरण पेश किया गया था जिसमें श्रीमान न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19.11.2019 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये सीज किये गये गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश दिये गये थे। योग्य अभिभाषक ने यह भी बताया कि इस सम्बन्ध रसद विभाग ने एक एफ.आई.आर. 479/2018 अन्तर्गत धारा 3/7 सम्बन्धित थाने में दर्ज कराई, जिसमें बाद अनुसंधान सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया गया। जिसमें माननीय विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट केसेज) भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.02.2025 में मुलजिमान को बरी किया गया है योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने हमारा ध्यान न्यायालय के निर्णय के पैरा नम्बर 29,30 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि अप्रार्थी अभियुक्तगत के खिलाफ आरोप प्रमाणित नही माने हैं और अभियुक्तगण को 3/7 के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया गया है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि श्रीमान न्यायालय के कोनफिसीकेसन आदेश दिनांक 19.11.2019 की सूचना प्रार्थी को नही दी गई जो धारा 6सी(1) मे आवश्यक है। कोनफिसीकेसन आदेश दिनांक 19.11.2019 के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील दायर की गई। दाण्डिक अपील संख्या 14/2024 निर्णय दिनांक 04.08.2025 को म्याद बाहर होने से अस्वीकार कर दी गई है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में अपीलीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–02 भरतपुर के निर्णय दिनांक 04.08.2025 के पैरा नम्बर 13 की ओर ध्यान आकर्षित करते बताया कि अपराा अन्तग्रत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट के आरोप से अपीलार्थी गैस एजेन्सी के होकर व डिलेवरी मैन आरोपीगण को दोष मुक्त कर दिया गया है ऐसी स्थिति में धारा 6ग(2) ई.सी.एक्ट के तहत जप्त सिलेण्डरों को अपीलार्थी गैस एजेन्सी को वापिस लौटाये जाने का प्रावधान है। योग्य अभिभाषक

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर.1994 पेज 2663 उद्धरित करते हुये जप्त गैस सिलेण्डरों को वापिस दिलाये जाने की प्रार्थना की।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में बताया कि वक्त निरीक्षण नियमों का उलंघन करते हुये भारत गैस कम्पनी के गैस सिलेण्डर जप्त किये गये थे जिसका प्रकरण धारा 6ए ई.सी.एक्ट के तहत श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया था, तथा अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी। श्रीमान न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2019 से प्रकरण धारा 6ए स्वीकार करते हुये गैस सिलेण्डर के राजसात किये जाने के आदेश दिये गये थे, उक्त राजसात के आदेश की अपील प्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में पेश की गई जो दिनांक 15.2.2025 को म्याद बाहर होने से खारिज कर दी गई है। पैरोकार रसद का यह भी कहना है कि प्रकरण 3/7 में सक्षम न्यायालय ने आरोपीयों को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल होने के कारण दोष मुक्त की गई है। पैरोकार सरकार का तर्क है कि गैस सिलेण्डर राजसात का आदेश आज भी स्टेण्ड कर रहा है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी द्वारा उद्धरित दृष्टान्त ससम्मान अध्ययन किया गया। एफ.आई.आई.संख्या 479/2018 अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट जिसका फैसला माननीय विशिष्ठ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट केसेज) भरतपुर द्वारा दिनांक 15.02.2025 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय में आरोपीयों को दोषमुक्त घोषित किया गया है। ई.सी.एक्ट की धारा 6(सी) (2) के परिप्रेक्ष्य में जप्त किये गये गैस सिलेण्डरों को वापिस प्रार्थी को लोटाया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण धारा 6 (ए)ई.सी.एक्ट में (जप्त)राजसात किये गये गैस सिलेण्डरों का सुपुर्दनामा निरस्त किया जाता है तथा जप्त गैस सिलेण्डरो को वापिस प्रार्थी को लोटाया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 6.03.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,